बिहार सरकार (के0प्रा0यो0 (100%))

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4/नि0–सी0एस0एस0–61–02/2009– 145

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक– 12.03.18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹53.25 लाख (तिरपन लाख पचीस हजार रुपए) मात्र की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत

2– कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्कीम बजट मद में मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–मांग संख्या–44–उप शीर्ष–0214– अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिये अम्ब्रेला स्कीम–विषय शीर्ष 0217. 34.01 छात्रवृति/वजीफा– विपत्र कोड **44–2225022770214** के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस स्वीकृत राशि का व्यय गत वर्ष के बकाया एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये किया जा सकता है। परन्तु अलग–अलग वर्ष के लिए व्यय का लेखा अलग–अलग संधारित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट रहे कि किस वर्ष के लिए कितनी राशि व्यय किया गया।

4– जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–20014/01/2017–Scholarship दिनांक 02–05–17 द्वारा विमुक्त राशि से इस राशि की स्वीकृत दी गयी है ।

5– इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होगें जो पूर्व से इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। संबंधित उप विकास आयुक्त इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा स्वीकृत आवेदनों एवं अनुशंसा के पश्चात राशि का व्यय विभागीय संकल्प सं0–4061 दिनांक–16.05.2016, संकल्प सं0–3098 दिनांक–20.12.2017 एवं संकल्प संख्या–386 दिनांक–15.02.2018 तथा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय छात्रवृति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक–17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– इस राशि की स्वीकृति आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–4/नि0–सी0एस0एस0–61–02/2009–के पृ0– /टि0 पर प्राप्त है।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाए।

विश्वासभाजन,

12.3.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4 / नि0–सी0एस0एस0–61–02 / 2009– 145 पटना, दिनांक– 12.03.18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2– अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय (शिक्षा प्रभाग), भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित ।

3– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

4– संबधित प्रमंडलीय आयुक्त / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक,कल्याण विभाग / संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5– अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सहायक निदेशक (मु0), अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रशाखा पदा0–5डी0, अनु0जाति एवं अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी शाखा,अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6– आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.3.18

सरकार के सचिव।